महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 63वीं बैठक

दिनांक 17 जुलाई, 2020

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 63वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 63वीं बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2020 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित स्वराज सभागार मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	प्रो. आर.पी.सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष, जनसंख्या अध्ययन	सदस्य
3.	प्रो. मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
4.	प्रो. सुब्रतो दत्ता, विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स	सदस्य
5.	प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
6.	प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण	सदस्य
7.	प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र	सदस्य
8.	प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान एवं विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र	सदस्य
9.	प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस	सदस्य
10.	प्रो. आशीष भट्नागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान	सदस्य
11.	प्रो. प्रवीण माथुर, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान	सदस्य
12.	प्रो. अरविन्द पारीक, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण एवं विभागाध्यक्ष-वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
13.	प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र	सदस्य
14.	प्रो. नगेन्द्र सिंह, संकायाध्यक्ष-शिक्षा, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर	सदस्य
15.	डॉ. डॉली दलेला, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	सदस्य
16.	डॉ. गीतान्जलि वर्मा, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	सदस्य
17.	डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष-विधि संकाय	सदस्य
18.	डॉ. सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर	सदस्य
19.	मोहम्मद इदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला-टौंक	सदस्य
20.	डॉ. अर्चना भार्गव, संयोजक-संस्कृत अध्ययन बोर्ड	विशेष आमंत्रित
21.	डॉ. सुनिता गहलोत, संयोजक-हिन्दी अध्ययन बोर्ड	विशेष आमंत्रित
22.	डॉ. कायद अली खान, संयोजक-उर्दू,पारसी एवं अरबी अध्ययन बोर्ड	विशेष आमंत्रित
23.	डॉ. गीता शर्मा, संयोजक-संगीत अध्ययन बोर्ड	विशेष आमंत्रित
24.	डॉ. पूनम जोशी, संयोजक-संगीत अध्ययन बोर्ड	विशेष आमंत्रित
25.	श्रीमती राधा सारस्वत, संयोजक-लोक प्रशासन, अध्ययन बोर्ड	विशेष आमंत्रित
26.	डॉ. अनुराधा त्रिपाठी, संयोजक-राजनीति विज्ञान अध्ययन बोर्ड	विशेष आमंत्रित

27. डॉ. योगेश चन्द्र शर्मा, संयोजक-भूगोल अध्ययन बोर्ड — विशेष आमंत्रित
28. डॉ. संजय जैन, संयोजक-गणित अध्ययन बोर्ड — विशेष आमंत्रित
29. श्रीमती सुधा नवल, संयोजक-गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड — विशेष आमंत्रित
30. श्री आर.एस. बांगड़, संयोजक-व्यावसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड — विशेष आमंत्रित
31. डॉ. मीना असवानी, संयोजक-सिन्धी पाठ्यक्रम समिति — विशेष आमंत्रित
32. डॉ. लक्ष्मीकान्त व्यास, संयोजक-राजस्थानी पाठ्यक्रम समिति — विशेष आमंत्रित
33. डॉ. हीरू फरवानी, संयोजक-दर्शनशास्त्र पाठ्यक्रम — विशेष आमंत्रित
34. डॉ. जे.एस. जेतमल, संयोजक-जेवीजेवी पाठ्यक्रम समिति — विशेष आमंत्रित
35. डॉ. आशीष पारीक, संयोजक-इन्टरप्रिन्योरशीप पाठ्यक्रम समिति — विशेष आमंत्रित
36. डॉ. विष्णु परमार, संयोजक-शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति — विशेष आमंत्रित
37. श्रीमती ए. जयन्ती देवी, संयोजक-योगा एण्ड ह्यूमन कॉन्शि. पाठ्यक्रम समिति — विशेष आमंत्रित
38. डॉ. अश्विनी तिवारी, संयोजक-लाईब्रेरी एण्ड इन्फो.साईंस पाठ्यक्रम समिति — विशेष आमंत्रित
39. कुलसचिव — सदस्य-सचिव

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुएः-

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर । — सदस्य
2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर । — सदस्य
3. प्रो. बी.एल. वर्मा, विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महा. उदयपुर । — सदस्य
4. प्रो. रवि सक्सैना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर — सदस्य
5. श्री चेतन प्रकाश, संयोजक-इतिहास अध्ययन बोर्ड — विशेष आमंत्रित
6. डॉ. उमेश भार्गव, संयोजक-समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड — विशेष आमंत्रित
7. डॉ. एस.के. गुप्ता, संयोजक-भौतिक शास्त्र अध्ययन बोर्ड — विशेष आमंत्रित
8. श्री सुरेश कुमार गोयल, संयोजक-एबीएसटी अध्ययन बोर्ड — विशेष आमंत्रित
9. डॉ. उमा जोशी, संयोजक-मनोविज्ञान पाठ्यक्रम समिति — विशेष आमंत्रित
10. डॉ. अरूण व्यास, संयोजक-जियोलॉजी पाठ्यक्रम समिति — विशेष आमंत्रित
11. डॉ. बीना अग्रवाल, संयोजक-टेक्सटाईल कैमेस्ट्री — विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया । कोरोना काल के दौरान स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम पाठ्यक्रम लागू करने तथा सत्र 2020-21 हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए नियत समय पर बैठक आयोजित करने पर कुलपति महोदय ने अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के संयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की । माननीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव ने शैक्षणिक प्रथम अनुभाग के द्वारा समस्त अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति की बैठकें ऐतिहासिक रूप से 22 दिनों में सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए श्री आर.के. व्यास, उप कुलसचिव, श्री सुरेन्द्र कुमावत, स्टेनोग्राफर, श्री विजय कुमार तिवारी, वरिष्ठ सहायक, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री नवीन चन्द रंगा, सहायक कर्मचारी की प्रशंसा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 1	विद्या परिषद् की दिनांक 30.05.2020 को सम्पन्न हुई 62वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (62) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2020/7271-95 दिनांक 30.05.2020 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**निम्नलिखित प्रेक्षण के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गयीः-** **1. मद संख्या 05 के सम्मुख अंकित अनुपालना करने वाले विभाग के कॉलम में अंकित "संयोजक, प्रवेश समिति" के स्थान पर "शैक्षणिक-I" पढ़ा जाय ।** **2. मद संख्या 06 के सम्मुख अंकित अनुपालना करने वाले विभाग के कॉलम में अंकित "संयोजक, प्रवेश समिति" के स्थान पर "शैक्षणिक-II" पढ़ा जाय ।**	
मद सं0 2	विद्या परिषद् की 59वीं बैठक दिनांक 10.11.2019 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 3	विद्या परिषद् की 60वीं बैठक दिनांक 26.11.2019 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 4	निम्नलिखित विषयों के अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों के द्वारा सत्र 2020-21 हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम पाठ्यक्रम का समावेश करते हुए समस्त विषयों के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु की गयी अनुशंषाओं का अनुमोदन करने पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**

निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा सी.बी.सी.एस. एवं आनन्दम पाठ्यक्रम की परीक्षा स्कीम तथा शैक्षिक योजना सभी संकायों में एक समान हो इसके लिए संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय के संयोजकत्व में समस्त संकायाध्यक्षों की एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया । उक्त समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी अनुशंषा माननीय कुलपति महोदय को प्रेषित करेगी । समिति की अनुशंषाओं पर निर्णय लेकर कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं0 5	प्रो. बी.पी. सारस्वत, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय दिनांक 30 जून, 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे है । प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14054/2014 प्रो. सर्वेश पालरिया बनाम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के दिनांक 30.01.2016 के आदेशों की अनुपालना एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानान्तर्गत संकायाध्यक्षों की नियुक्ति माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रखते हुए विद्या परिषद् की सिफारिश पर की जानी है । अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (2) के प्रावधानों के तहत संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय नियुक्ति किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष विचार कर निर्णय करने हेतु प्रस्तुत है ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**संकायाध्यक्ष, वाणिज्य के चयन हेतु विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों से प्रथमतः योग्य उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित किये गये । सदस्यों द्वारा डॉ. एम.एल. अग्रवाल, प्राचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर एवं डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा, प्राचार्य, दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर का नाम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया गया । पूर्व प्रक्रिया अनुसार विद्या परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों को मतदान हेतु मत पत्र उपलब्ध कराया गया । प्राप्त मत पत्रों की गणना के परिणामों के आधार पर डॉ. एम.एल. अग्रवाल, प्राचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को दो वर्ष अथवा सेवानिवृति अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 6	स्मार्ट विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट पर एक नई समिति का गठन करने एवं पूर्व गठित समिति से प्रगति रिपोर्ट मंगाए जाने हेतु भी सूचित किया जाना ।	शैक्षणिक-I

निर्णय	**समिति को यथावत रखते हुए कार्य योजना अतिशीघ्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं0 7	प्रतिवेदित है कि निम्नलिखित शोधार्थियों को शोध कार्य करते हुयें पंजीयन की तिथि से पॉच वर्ष उनके सामने अंकित तिथियों को पूर्ण हो चुके है । इन शोधार्थियों के द्वारा अंध्यादेश 124.13. (iii) के तहत शोध ग्रंथ जमा कराने हेतु अवधि विस्तार प्रार्थना पत्रों को अध्यादेश 124.15(xi) के प्रावधानान्तर्गत रिसर्च ग्रीवेन्स समिति की बैठक दिनांक 16.11.2019 के समक्ष विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया :-	**शोध**

क्र	शोधार्थी का नाम	शोध निदेशक का नाम	विषय	RET	अवधि विस्तार हेतु आवेदन तिथि	पंजीयन की तिथि	पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक
1	सपना बोहरा	डॉ. रश्मि भार्गव	अर्थशास्त्र	2010	30.04.18	11.03.13	10.03.18
2	संतोष कुमार अनिजवाल	डॉ. लता अग्रवाल	इतिहास	2010	24.04.18	25.04.13	24.04.18
3	बाबू लाल	डॉ. नीलिमा भार्गव	इतिहास	2010	17.05.18	25.04.13	24.04.18
4	चौथूराम	प्रो. जी.एस. व्यास	इतिहास	2010	20.09.18	24.09.13	23.09.18
5	मन्दरूप राम देवडा	डॉ. एम.एल. शर्मा	इतिहास	2010	12.04.18	25.04.13	24.04.18
6	नरेन्द्र सिंह गुर्जर	डॉ. लता अग्रवाल	इतिहास	2010	05.02.19	25.04.13	24.04.18
7	नरेन्द्र कुमार सैनी	डॉ. एस.डी. मिश्रा	इतिहास	2010	20.11.18	24.09.13	23.09.18
8	अभिषेक गुजराती	डॉ. एच.एन. व्यास	समाज–शास्त्र	2010	18.06.18	07.05.13	06.05.18
9	धमेन्द्र कुमार जांगिड	प्रो. एस.एन.सिंह	राजनीति विज्ञान	2010	07.03.19	12.03.13	11.03.18
10	चन्द्रा सोलंकी	डॉ. अशोक तंवर	राजनीति विज्ञान	2010	29.08.18	12.03.13	11.03.18
11	राम रतन	डॉ. एच.पी. गौड	हिन्दी	2010	24.08.18	31.08.13	30.08.18
12	अशोक धवन	डॉ. एच.पी. गौड	हिन्दी	2010	24.08.18	31.08.13	30.08.18

समिति ने उक्त प्रकरणों पर विचार विमर्श कर अनुशंसा की कि पंजीकरण तिथि पॉच वर्ष पूर्ण होने पर विशेष परिस्थितियों मे अध्यादेश 124.13(iii) के प्रावधानान्तर्गत एक वर्ष की अधिकतम समयावधि बढ़ाई जा सकती है लेकिन इन सभी प्रकरणों मे एक वर्ष की अवधि बढ़ाये जाने के पश्चात् भी 6 वर्ष पूर्ण हो चुके है यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विगत 11 अक्टूबर, 2018 से 18 सितम्बर, 2019 तक विश्वविद्यालय मे कुलपति महोदय के कार्य करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक होने के कारण शोधार्थियों के अवधि विस्तार की प्रक्रिया बाधित रही है । अध्यादेश 124.13(iii) के प्रावधानान्तर्गत 6 वर्ष से अधिक अवधि विस्तार का कोई प्रावधान नही है। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों मे अवधि विस्तार का निर्णय सक्षम प्राधिकार के स्तर पर किये जाने की संस्तुति की गई ।

	इसके पश्चात् दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को माननीय कुलपति महोदय द्वारा समिति को स्पष्ट निर्णय प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने पर समिति की 13 दिसम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा क्रम संख्या 1 से 12 में अंकित शोधार्थियों को विशेष परिस्थिति में छात्र हित में शोध प्रबंध जमा कराने हेतु आदेश की तिथि से 3 माह/6 माह का अतिरिक्त समय विद्या परिषद की पुष्टि के अध्यधीन माननीय कुलपति महोदय को विश्वविद्यालय के अधिनियम धारा 19 (18) के तहत प्रदत्त आपात शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिये जाने की संस्तुति की गई । समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 17.12.2019 के आदेशो के तहत उक्त शोधार्थियों का शोध ग्रंथ जमा कराने हेतु आदेश की तिथि से 6 माह का अतिरिक्त समय शोधार्थियों को दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। माननीय कुलपति महोदय के 17.12.2019 को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) के तहत प्रदत्त आदेश विद्या परिषद के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं0 8	हमारे देश के सैनिक जिन्होंने एन.डी.ए. एवं सी.डी.एस. कोर्स पास करके डिफेंस सर्विसेज को ज्वॉइन किया है ऐसे सैनिकों को 02 वर्ष की एकेडमिक लीव मिलती है जिससे वे अपनी स्कील डवलपमेंट की डिग्री प्राप्त करते है । जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, ऐसे एन.डी.ए. पास सैनिकों को विभिन्न संकायों (B.A./B.Sc./B.Com/Management/ Computer) में डिग्री प्रदान करता है । एन.डी.ए. एवं सी.डी.एस. पास किए सैनिकों के सम्मान में विश्वविद्यालय में संचालित कोर्सेज में एक अतिरिक्त सीट (20 के अलावा) सुरक्षित करनी चाहिए ताकि वे इससे लाभान्वित हो सकें । अतः उनका प्रवेश न्यूनतम प्राप्तांकों के आधार पर होना चाहिए ।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव